

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक .....

विषय:- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-२०११ के अंतर्गत सर्वश्री महाशक्ति इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, पंडौल, मधुबनी को ₹१९,७२,२०५.०० (उन्नीस लाख बहत्तर हजार दो सौ पाँच रुपए मात्र) अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, २०११ के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र की औद्योगिक ईकाइयों को डी०जी० सेट/कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना पर देय अनुदान हेतु उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक-१८.०८.२०१५ में लिए गए निर्णय तदनुसार बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक -३५८० दिनांक-०४.०९.१५ के आलोक में सर्वश्री महाशक्ति इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, पंडौल, मधुबनी को ₹१९,७२,२०५.०० (उन्नीस लाख बहत्तर हजार दो सौ पाँच रुपए मात्र) डी०जी० सेट मद में अनुदान के रूप में स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

- (i) ईकाई अनुदान प्राप्ति के पश्चात् ५ वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि ५ वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य के बंद होती है तो भुगतान की गई राशि सूद समेत ईकाई से वसूल की जाएगी।
- (ii) ईकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों/ प्रमाण-पत्रों/ अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।
- (iii) ईकाई डी०जी० सेट/कैप्टिव पावर संयंत्र/गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से उत्पादित ऊर्जा का उपयोग मात्र अपनी ईकाई के लिए करेगा।

२. उक्त राशि का व्यय वहन मांग-२३ के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-२८५२- उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-८०- सामान्य, लघु शीर्ष-१०२- औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष-०१६०-प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड - P2852801020160 राज्य योजना स्कीम कोड-IND-5432 विषय शीर्ष ३३ ०१ सब्सिडी में द्वितीय अनुपूरक आगणन से उपबंधित एवं आवंटित राशि से की जाएगी।

कृ०प०३०

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
4. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन पटना से होगी। कृपया ड्राफ्ट पर नाम के साथ-साथ खाते का विवरण भी अंकित किया जाए।
5. इस राशि की निकासी "पूर्व प्राप्ति रसीद" पर कोषागार फार्म संख्या 25 पर की जाएगी।
6. इस राशि का भुगतान सर्वश्री महाशक्ति इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, पंडौल, मधुबनी को RTGS/NEFT के माध्यम से की जाएगी।

ह0/-  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना

ज्ञापांक-..... पटना, दिनांक.....  
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया ड्राफ्ट पर नाम के साथ-साथ खाते का विवरण भी अंकित किया जाए।

ह0/-  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना

ज्ञापांक-.....5/2..... पटना, दिनांक.....5-2-16  
प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/ कार्यकारी निदेशक, बियाडा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में /प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-01 (सरकार)/ आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ सर्वश्री महाशक्ति इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, पंडौल, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना  
5-2-16